दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, सोमवार 28 जनवरी 2025 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 120

महत्वपूर्ण एवं खास

एसकेएमसीएच में 26 वर्षीय मेडिकल छात्र की मौत, कारण बताया जा रहा हार्ट अटैक

मुजफ्फरपुर (आरएनएस)। श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र 26 वर्षीय सुरेंद्र कुमार की मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य और अधीक्षक ने की है। सुरेंद्र मूल रूप से सहरसा का रहने वाला था। घटना की जानकारी के बाद मृतक के परिजन एसकेएमसीएच के लिए निकल गए हैं। मेडिकल छात्रों का एनुअल एग्जाम चल रहा है। सेंटर एमआईटी में पड़ा हुआ है। द्वितीय वर्ष का एनुअल एग्जाम देने के बाद सुरेंद्र अपने कमरे में पहुंचा। वहां ठंडा लगने की बात कही। इसके बाद उसके दोस्त ने रूम हीटर चालू कर दिया। लेकिन, तबीयत नहीं सुधरी। शुक्रवार की रात 8:35 बजे सुरेंद्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उसके दोस्त उसे इमरजेंसी में इलाज के लिए ले गए। डॉक्टर ने सुरेंद्र को बचाने की काफी कोशिश की। लेकिन, बचाया नहीं जा सका। करीब दो माह से सुरेंद्र हॉस्टल में नहीं रहता था। कैंपस के बाहर रूम लेकर रह रहा था। उनकी मौत के खबर सुनने के बाद अधीक्षक प्रो. कुमारी बिभा, प्राचार्य प्रो. आभा रानी सिन्हा आदि समेत मेडिकल कॉलेज के तमाम पदाधिकारी एसकेएमसीएच पहुंचे।

युद्धविराम समझौते के 60 दिन पूरे, लेबनान पर इजरायल ने किया हमला, 22 की मौत 124 घायल

बेरूत। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे लोगों पर इजरायली हमले हुए, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें छह महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा, 124 लोग घायल हो गए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि घायलों में 12 महिलाएं और इस्लामिक स्काउट एसोसिएशन का एक सदस्य भी था जो मानवीय बचाव मिशन का काम कर रहा था। एक लेबनानी सैन्य सूत्र ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायली सेना, मर्कवा टैंक और बुलडोजर के साथ मेस अल-जबल गांव में नागरिकों की भीड़ की ओर बढ़ी और निवासियों को डराने और वहां से भगाने के लिए भारी गोलीबारी की। सूत्र ने कहा कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नकौरा में स्थित संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर मुख्य सडक़ को भी बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि सेना ने मेस अल-जबल और अरकोब हाइट्स पर कई बार फायरिंग की। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, पूर्वी लेबनान और दक्षिण-पूर्वी लेबनान के शेबा क्षेत्र के पश्चिम में माउंट सदानेह की ओर भी मशीन-गन से गोलियां दागी गईं।

पाकिस्तान : एलपीजी टैंकर में विस्फोट, 6 की मौत, 38 घायल

इस्लामाबाद। पंजाब के मुल्तान में कल देर रात एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) टैंकर में विस्फोट होने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हो गए। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) मुहम्मद अली बुखारी ने बताया, गैस से भरे टैंकर में आग लगने के कारण विस्फोट हुआ। बुखारी ने कहा कि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। घटनास्थल पर 16 अग्निशमन वाहन मौजूद थे और अधिक गाडिय़ों को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और अन्य संगठनों को भी चल रहे ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है।

भारत को जल्द मिलेगा नया सेबी चीफ, सरकार ने शुरू की तलाश

नई दिल्ली । आरएनएस

वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए चेयरमैन की तलाश शुरू कर दी गई है। इसकी वजह मौजूदा नियामक प्रमुख माधबी पुरी बुच का कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त होना है।

वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को अखबार में फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ चेयरमैन इन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शीर्षक वाले विज्ञापन में पूंजीगत बाजार नियामक के प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए।

विज्ञापन में कहा गया कि नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए या नियुक्त व्यक्ति की आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

सेबी प्रमुख के पास भारत सरकार के सचिव के समान वेतन या घर और कार के बिना 5,62,500 रुपये प्रति माह की कंसोलिडेटेड सैलरी प्राप्त करने का विकल्प होगा।

वित्त मंत्रालय ने उम्मीदवारों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी तय की है।

माधबी पुरी बुच को मार्च 2022 में तीन साल की अवधि के लिए 28 फरवरी तक सेबी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थीं। सेबी प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले, बुच सेबी बोर्ड की नियमित सदस्य थीं।

बुच ने पूर्व आईएएस अधिकारी अजय त्यागी का स्थान लिया है, जिनका सेबी प्रमुख के रूप में कार्यकाल दो साल के विस्तार के बाद समाप्त हो गया था। त्यागी ने वित्त मंत्रालय में प्रमुख पदों पर कार्य किया था।

वह निजी क्षेत्र से सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली व्यक्ति थीं। उनका करियर 1989 में आईसीआईसीआई बैंक से शुरू हुआ था। 1993 से 1995 के बीच बुच ने इंग्लैंड के वेस्ट चेशायर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम किया। बुच ने 12 साल तक विभिन्न कंपनियों में बिक्री, मार्केटिंग और उत्पाद विकास सहित विभिन्न प्रोफाइल में काम किया था।

2006 में वह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में शामिल हुईं और बाद में फरवरी 2009 से मई 2011 तक कंपनी की सीईओ रहीं।

इसके बाद बुच 2011 में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में शामिल होने के लिए सिंगापुर चली गईं। 2011 से 2017 के बीच उन्होंने जेनसर टेक्नोलॉजीज, इनोवेन कैपिटल और मैक्स हेल्थकेयर जैसी कई कंपनियों के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया है।

तीसरी मंजिल से गिरकर भी जिंदा बच गया 2 वर्षीय मासूम

मुंबई । आरएनएस

मुंबई के डोंबिवली में एक चमत्कारिक घटना सामने आई है, जहाँ एक दो साल का बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे गिरने के बावजूद सुरक्षित बच गया। यह घटना डोंबिवली के देवीचापाड़ा इलाके में रविवार सुबह हुई।

जानकारी के अनुसार, देवीचापाड़ा स्थित एक 13 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर रहने वाले एक परिवार का दो वर्षीय बच्चा बालकनी में खेलते समय अचानक नीचे गिर गया। उसी इमारत में रहने वाले भावेश म्हात्रे नामक एक युवक ने बच्चे को गिरते हुए देखा और बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए दौड़ लगा दी।

भावेश ने बच्चे को पकडऩे की कोशिश की, लेकिन बच्चा फिसलकर नीचे गिर गया। हालांकि, भावेश ने तुरंत अपने पैर बच्चे के नीचे लगा दिए, जिससे बच्चा सीधे जमीन पर गिरने से बच गया। इस घटना में बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई।

पूरी घटना इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और इसका एक फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग इसे 'चमत्कार' बता रहे हैं और हैरान हैं कि इतनी ऊँचाई से गिरने के बाद भी बच्चा सुरक्षित है।

लोगों ने भावेश म्हात्रे की बहादुरी और मानवीयता की सराहना की है। उनका मानना है कि भावेश ने एक बच्चे की जान बचाने के लिए जिस साहस का परिचय दिया, वह दूसरों के लिए प्रेरणादायक है।

झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से राहत, मनरेगा घोटाले से संबंधित याचिका निष्पादित

रांची । आरएनएस

भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर पूजा सिंघल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले में तत्कालीन उपायुक्त के रूप में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच के लिए स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को निष्पादित कर दिया है।

चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने सोमवार को कहा कि इस मामले में पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जांच की गई है। मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इसमें अब कोई मुद्दा बाकी नहीं है, इसलिए इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

बता दें कि खूंटी में मनरेगा योजनाओं में 200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। उस दौरान पूजा सिंघल खूंटी की उपायुक्त थीं। इस मामले को लेकर खूंटी जिले के विभिन्न पुलिस थानों में 16 एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले की जांच सौंपी गई।

प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि एसीबी से पूरे मामले की जांच कराई, लेकिन उसमें तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच नहीं की गई। उपायुक्त ने मनरेगा में भुगतान से संबंधित चेक पर हस्ताक्षर किया था। उनकी भूमिका की ईडी से जांच कराने का आग्रह किया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने इसी मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके पहले एजेंसी ने उनके आवास सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से करीब 18 करोड़ नगद बरामद किए गए थे। करीब 28 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद सिंघल को सितंबर 2024 में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली थी।

44 संशोधनों पर चर्चा के बाद जेपीसी से मिली वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली । आरएनएस

संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। बिल को अगस्त 2024 में 14 बदलावों के साथ संसद के पटल पर रखा गया था।

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। 6 महीने तक विस्तृत चर्चा के बाद, हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। यह हमारी अंतिम बैठक थी इसलिए, बहुमत के आधार पर समिति द्वारा 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे। हमने उनमें से प्रत्येक संशोधन को आगे बढ़ाया और उस पर मतदान हुआ, लेकिन उनके (सुझाए गए संशोधनों) के समर्थन में 10 वोट पड़े और इसके विरोध में 16 वोट पड़े और वो मंजूर नहीं किया गया।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों के नियमतीकरण के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिस-मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।

जेपीसी की 24 जनवरी को दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया था दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है।

पिछली बैठक में हंगामे के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा था, संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा और यह विधेयक पूरी तरह से समय के खिलाफ है। यह वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की एक साजिश प्रतीत हो रही है और इसके माध्यम से देश में नफरत फैलाने की योजना बनाई जा रही है। हमने स्पीकर साहब से सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, जबकि इस विधेयक को सत्र के आखिरी दिन, यानी 4 अप्रैल तक रखा जा सकता था। उन्हें यह आशंका है कि इस तरह की जल्दबाजी से सभी पक्षों को अपनी बात रखने का उचित समय नहीं मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि जेपीसी की पिछली बैठक में दौरान हंगामे के बाद 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए. राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह नदवी, एम. अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल थे।

पुणे में रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप, 100 से ज्यादा संक्रमित, एक की मौत, कई वेंटिलेटर पर

मुंबई । आरएनएस

पुणे में एक रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के मामलों की संख्या रविवार को 100 के पार पहुँच गई। सोलापुर में भी एक संदिग्ध की जीबीएस से मौत की खबर है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, पीड़ित पुणे में संक्रमित हुआ था और बाद में सोलापुर गया था।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और आसपास के जिलों में जीबीएस के 18 और संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे 101 मरीजों में से 16 वेंटिलेटर पर हैं। इनमें 68 पुरुष और 33 महिलाएं शामिल हैं।

पुणे में फैल रही रहस्यमयी बीमारी से प्रभावित मरीजों का आयु वर्ग के अनुसार विवरण इस प्रकार है: 9 वर्ष से कम आयु के 19 बच्चे, 10 से 19 वर्ष के 15 किशोर, 20 से 29 वर्ष के 20 युवा, 30 से 39 वर्ष के 13 व्यक्ति, 40 से 49 वर्ष के 12 व्यक्ति, 50 से 59 वर्ष के 13 व्यक्ति, 60 से 69 वर्ष के 8 व्यक्ति और 70 से 80 वर्ष का 1 व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है।

वहीं, क्षेत्रवार विवरण के अनुसार, पुणे नगर निगम क्षेत्र से 81, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम क्षेत्र से 14 और अन्य जिलों से 6 मामले सामने आए हैं। इससे स्पष्ट है कि इस बीमारी का प्रकोप पुणे शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन युवाओं और बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। मामले मुख्य रूप से सिंहगढ़ रोड, खडक़वासला, धायरी, किरकट-वाडी और आसपास के क्षेत्रों से सामने आए हैं।

संदूषण की आशंका के चलते पानी के नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं। शुरुआती जाँच में डेंगू, जीका और चिकनगुनिया के लिए रिपोर्ट नकारात्मक आई है, लेकिन 11 मल के नमूनों में से 9 नोरोवायरस और 3 कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी जीवाणु संक्रमण के लिए सकारात्मक पाए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 9 जनवरी को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज में पहला जीबीएस मामला होने का संदेह है। जाँच में कुछ नमूनों में कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया पाया गया है। खडकवासला बांध के पास एक कुएँ में ई कोली बैक्टीरिया का उच्च स्तर भी पाया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कुएँ का उपयोग किया जा रहा था या नहीं।

लोगों को पानी उबालकर पीने और खाना गर्म करके खाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग 25,578 घरों का सर्वे कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोगों का पता लगाया जा सके और जीबीएस मामलों में वृद्धि के कारण का पता लगाया जा सके।

जीबीएस एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से नसों पर हमला करता है। इसका इलाज महंगा है, एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपये है।

भारी विरोध के बाद फिल्म 'छावा' से डांस सीन हटाया गया, मंत्री उदय सामंत ने जताया आभार

मुंबई । आरएनएस

फिल्म 'छावा' में जिस डांस सीन पर आपत्ति जताकर मराठा समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, अब उस सीन को हटा दिया गया है। मंत्री उदय सामंत ने इसकी जानकारी दी। मंत्री उदय सामंत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने फिल्म से डांस वाले हिस्से को हटा दिया है।

उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मांग की थी और वह मान ली गई, तो फिर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? इस कदम के लिए उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को धन्यवाद भी दिया। फिल्म में दिखाए गए डांस को लेकर आपत्ति जताई गई थी। बता दें कि फिल्म 'छावा' 14 फरवरी को रिलीज होगी। 'छावा' एक पीरियड ड्रामा है, जिसमें विक्की कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म में विक्की छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे जबकि रश्मिका महारानी येसुबाई के रोल में दिखेंगी। येसुबाई को मराठा साम्राज्य की छत्रपति महारानी कहा जाता था।

विवाद ट्रेलर आउट होने के बाद काफी बढ़ा। इसके ट्रेलर में मुख्य किरदार 'लेजिम' संग नृत्य करते दिखे थे। मराठा समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई। इस क्लिप में विक्की कौशल और रश्मिका 'लेजिम' के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे।

मराठा समुदाय के लोगों का कहना था कि ऐसा करके ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 'लेजिम' एक इंस्ट्रूमेंट है, जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है।

महाकुंभ : गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई आस्था की डुबकी, सीएम योगी और संत रहे मौजूद

महाकुंभ नगर । आरएनएस

प्रयागराज के महाकुंभ में गृहमंत्री अमित शाह ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया।

योगी और संतों ने शाह पर जल डाला। यहां से शाह लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे, फिर संतों के साथ बैठक करेंगे और भोजन भी करेंगे। शाह करीब 5 घंटे तक महाकुंभ में रहेंगे। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेल्फी पॉइंट अरैल घाट पहुंचे। वह कुछ ही देर संतों के साथ बैठे फिर पवित्र स्नान किया।

अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक और अन्य लोग मौजूद थे। अमित शाह के बेटे जय शाह परिवार के साथ पहुंचे हैं। सभी संगम में डुबकी लगाएंगे। अमित शाह संतों के साथ भोजन करेंगे।

ज्ञात हो कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार, 26 जनवरी 2025 तक 13.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 भाजपा नेताओं पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने के खिलाफ खारिज की झारखंड सरकार की याचिका

रांची/नई दिल्ली । आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा सांसद संजय सेठ सहित 28 भाजपा नेताओं के खिलाफ झारखंड सचिवालय घेराव के मामले में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त करने के आदेश को बरकरार रखा है।

शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका (एसएलपी) सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस एसएलपी की सुनवाई के दौरान, देश में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन की ओर से बार-बार दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 का इस्तेमाल किए जाने पर तल्ख टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा, 'एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 का आदेश जारी कर दिया जाता है। इससे गलत संदेश जाएगा। यदि कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो धारा 144 लगाने की आवश्यकता क्या है? यह तो धारा 144 का दुरुपयोग है।'

झारखंड सचिवालय के घेराव के मामले में भाजपा के नेताओं के खिलाफ 11 अप्रैल 2023 को एफआईआर हुई थी। उस दिन भाजपा ने तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ सचिवालय घेराव का आह्वान किया था। इसे देखते हुए पुलिस ने सचिवालय और आसपास के इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी थी।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। उन पर लाठी चार्ज भी हुआ था। इस दौरान रांची का धुर्वा चौक करीब पौने दो घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा था और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस प्रकरण को लेकर रांची जिला प्रशासन के कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भडक़ाने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

एफआईआर में कहा गया था कि धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहने के बावजूद नामजद आरोपियों और अज्ञात कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग उखाडऩे का प्रयास किया, उत्पात मचाया, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को निशाना बनाते हुए बोतल फेंकी, पत्थरबाजी की। इससे ड्यूटी में तैनात एसडीओ दीपक कुमार दुबे, धुर्वा के थानेदार विमल नंदन सिन्हा, दारोगा नारायण सोरेन, सिपाही मनीष कुमार, सिपाही संतोष कुमार शर्मा, अनिल कुमार महतो व अन्य पुलिसकर्मी और घटना की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार घायल हो गए।

एफआईआर में कहा गया था कि भाजपा नेताओं ने भीड़ को उकसाने का प्रयास किया। इस केस में सांसद अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद समीर उरांव, सांसद सुनील कुमार सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक अमित मंडल, विधायक बाबूलाल मरांडी, विधायक विरंची नारायण सिंह सहित 41 लोगों को नामजद किया गया था।

इनमें से 28 ने एफआईआर निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 14 अगस्त, 2024 को सुनाए गए फैसले में एफआईआर निरस्त कर दी थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले को झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।